

(H)

RECEIPT FOR FEE DEPOSITED FOR
SEARCH & COPY

Submit

Serial Number Of Application 65615

Date of Application 24-11-22

Name Of Applicant सुभांशु शेखर त्रिवेदी

Fees Paid 2500

Stamps Paper For

Date Of Deposit 24-11-22

Registering Officer

try Office, Motihari

brance Certificate

RTPS No.:-

030111021002202692

चूंकि श्री SUBHANSHU SHEKHAR TRIVEDI ने मेरे पास आवेदन किया है कि निम्नलिखित प्रमाण पत्र के संबंध में निबन्धित संव्यवहारों और अवगारों का विवरण प्रमाण-पत्र दिया जाय।
एकद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि आवेदन में वर्णित सम्पत्ति को प्रभावित करने वाले संव्यवहारों और अवगारों के बारे में वही 1 में और उससे संबंधित अनुक्रमणियों में ता० 21/11/2021 से ता० 24/11/2022 तक तलाशी की गयी और इसकी तलाशी के बाद निम्न संव्यवहारों और अवगारों का पता चला है:-

क्रम संख्या	कार्यालय	अंचल	मौजा/वार्ड नं०	खाता खेसरा रकबा	दस्तावेज का प्रकार	मूल्य	जिल्द संख्या	पृष्ठ सं	पृष्ठ तक	वर्ष
1	MOTIHARI	PIPRA KOTHI	KISHUNPUR-182	18 814	77 DECIMAL	0				

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त संव्यवहार और अवगारों को छोड़, उक्त संपत्ति को प्रभावित करने वाला कोई अन्य संव्यवहार और अवगार का पता नहीं चला है। निम्नलिखित व्यक्ति ने तलाशी की और प्रमाण पत्र तैयार किया :-

नाम - Santosh Kumar

LDC

तलाशी का सत्यापन और प्रमाण पत्र की जाँच निम्नलिखित व्यक्ति ने की :-

नाम - Uma Shankar Paswan

OS

कार्यालय -

District Registry

Office, Motihari

तारीख -

24/11/2022

निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

टिप्पणी -

1. इस प्रमाण पत्र में जो संव्यवहार और अवगार दिखाये गये हैं वे आवेदक द्वारा तथा प्रस्तुत संपत्ति विवरण के अनुसार पाये गये हैं। यदि आवेदक द्वारा दिये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्हीं सम्पत्तियों को निबन्धित दस्तावेजों में दिखाया गया है, तो इन दस्तावेजों से प्रभावित संव्यवहार (ट्रांजेक्शन, प्रमाण-पत्र में शामिल न किये जायेंगे।)
2. निबंधन अधिनियम की धारा-57 के अधीन जो व्यक्ति बहियों और अनुक्रमणियों (इण्डेक्स) की प्रविष्टियाँ देखना चाहते हो तो अथवा जो उनका प्रतिलिपि लेना चाहते हो तो अथवा जिन्हें विनिर्दिष्ट संपत्तियों के अवगारों के प्रमाण पत्रों की जरूरत हो उन्हें तलाशी स्वयं करनी होगी। विहित फीस का भुगतान करने पर बहि और अनुक्रमणी उनके सामने रख दी जायेंगी।
3. किन्तु चूंकि वर्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलाशी नहीं की है, इसलिए कार्यालय ने अपेक्षित तलाश अपने भरसक सावधानी से की है। फिर भी प्रमाण पत्र में दिये गये तलाशी परिणाम की किसी भूल के लिए किसी भी तरह की जिम्मेवारी नहीं होगी।
4. और चूंकि वर्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलाशी स्वयं की है इसलिए उसके द्वारा ढूँढे गये ऐसे संव्यवहारों और अवगारों के लिए किसी भी तरह कार्यालय जिम्मेवार न होगा जिससे उक्त संपत्ति पर प्रभाव पड़ता हो।

पत्रांक:- 2637 दिनांक:- 24/11/2022

शाखा प्रबंधक LIC HOUSINGH FINANCE LTD के पत्र दिनांक 21/11/2022 के प्रेषित।

निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर

24/11/2022
मोहरी